<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 09/2023-24 के परिशिष्ट 4 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/मायल/डीएफ और एमडीएफ/2020-21

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 09/2023-24 का परिशिष्ट 4

उड़ान भवन, डी ब्लॉक,
तृतीय तल, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 10 मई, 2024

विषय: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) लगाने के मामले के संबंध में

1. ऐरा की अपील संख्या 4/2023 के संबंध में पारित माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के दिनांक 19.12.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में 100/- रुपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 600/- रुपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से विकास शुल्क (डीएफ) संग्रहित करने की अवधि दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक बढ़ाई गई थी।

2.1 तत्पश्चात माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 21.02.2024 के अंतरिम आदेश के अनुरूप छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में 100/-रूपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 600/- रूपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से विकास शुल्क (डीएफ) लगाने की अवधि सुनवाई की अगली तारीख अर्थात 22.03.2024 तक बढ़ाई गई थी।

2.2 इसके बाद माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 22.03.2024 के अंतिरम आदेश के अनुरूप छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में 100/-रूपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 600/- रूपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से विकास शुल्क (डीएफ) लगाने की अवधि 10.05.2024 तक बढ़ाई गई थी।

3. यह मामला 30.04.2024 को माननीय टीडीसैट के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें माननीय अधिकरण ने अंतरिम आदेश द्वारा यह अवधि 31.07.2024 तक बढ़ाने की बात कही।

4. तदनुसार, माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 30.04.2024 के अंतरिम आदेश के अनुरूप मुम्बई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 100/-रुपए प्रति अंतरदेशीय यात्री और 600/-रुपए प्रति अंतरराष्ट्रीय यात्री की दर से विकास शुल्क लगाने की अवधि 31.07.2024 तक बढ़ाई जानी है।

5. ऐरा के दिनांक 14.06.2023 के आदेश 09/2023-24 की अन्य सभी शर्तें और निबंधन यथावत रहेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री प्रकाश तुलसैनी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल1,
सांताक्रूज़ (पूर्व) मुम्बई - 400099

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली 110 003.
(ii) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110 003.